बाल विवाह मुक्त भारत: दो वर्ष और राष्ट्रीय प्रगति

समाचार-संदर्भ: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 27 नवंबर 2026 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की दूसरी वर्षगाँठ पर राष्ट्रीय समारोह आयोजित किया। अभियान 27 नवंबर 2024 को शुरू हुआ था। 27 नवंबर संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित बाल, शीघ्र और बलपूर्वक विवाह के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी है।

मुख्य परीक्षा: सामान्य अध्ययन पत्र-I (भारतीय समाज और सामाजिक मुद्दे), पत्र-II (शासन, सामाजिक न्याय, कानून एवं संस्थाएँ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन)

प्रिलिम्स: सामान्य अध्ययन: सामाजिक कानून, संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, सतत विकास लक्ष्य



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

▼ **इस लेख में**

1. 28 नवंबर अपडेट: समारोह और नवीनतम प्रगति
2. खबरों में क्यों
3. परिचय
4. बाल विवाह मुक्त भारत अभियान: प्रमुख बिंदु
5. 27 नवंबर 2026 का राष्ट्रीय समारोह
6. अंतर्राष्ट्रीय दिवस: संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रस्ताव
7. वैश्विक स्थिति: प्रमुख आँकड़े (संयुक्त राष्ट्र)
8. भारत में स्थिति: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5, 2019-21)
9. कानूनी ढाँचा: बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
10. संस्थागत तंत्र और रोकथाम की शृंखला
11. आगे की राह
12. निष्कर्ष
13. प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
14. मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
15. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
16. स्रोत

28 नवंबर अपडेट: समारोह और नवीनतम प्रगति

मंत्रालय के 27 नवंबर के विवरण के अनुसार अभियान के जागरूकता कार्यक्रम 12 करोड़ से अधिक नागरिकों तक पहुँचे; 42 लाख से अधिक प्रतिज्ञाएँ दर्ज हुईं और पोर्टल पर 72,000 से अधिक बाल विवाह निषेध अधिकारियों का विवरण उपलब्ध था। ये पहुँच और प्रशासनिक क्षमता के संकेतक हैं, रोके गए बाल विवाहों की संख्या नहीं।

PIB के 6 नवंबर के विवरण के अनुसार NFHS-6 (2023-24) में 20-24 वर्ष की महिलाओं में 18 वर्ष से पहले विवाह का राष्ट्रीय अनुपात 20.1% था, जबकि NFHS-5 (2019-21) में 23.3% था। नीचे दिया गया NFHS-5 विवरण ऐतिहासिक तुलना है, नवीनतम राष्ट्रीय आँकड़ा नहीं।

PIB: 27 November event · PIB: 6 November data

खबरों में क्यों

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की दूसरी वर्षगाँठ और 27 नवंबर के अंतर्राष्ट्रीय दिवस ने कानून, शिक्षा तथा सामुदायिक रोकथाम को फिर केंद्र में ला दिया है।

परिचय

बाल विवाह (Child Marriage) का अर्थ है ऐसा विवाह या अनौपचारिक संबंध (informal union), जिसमें 18 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा किसी वयस्क या किसी अन्य बच्चे के साथ बँधा जाता है। संयुक्त राष्ट्र इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन मानता है, क्योंकि यह बच्चों, विशेषकर बालिकाओं, की शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवसरों और अपने जीवन के फैसले स्वयं लेने की स्वतंत्रता को सीधे प्रभावित करता है। भारत में इस कुप्रथा के उन्मूलन के लिए 27 नवंबर 2024 को 'बाल विवाह मुक्त भारत' (Bal Vivah Mukt Bharat - BVMB) अभियान शुरू किया गया था, जो 27 नवंबर 2026 को अपने दो वर्ष पूरे कर रहा है। इसी दिन पहली बार संयुक्त राष्ट्र घोषित अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जा रहा है, जिससे भारत के प्रयासों को वैश्विक गति से जोड़ा जा सकता है।

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान: प्रमुख बिंदु

- **शुभारंभ और दृष्टिकोण:** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने यह अभियान 27 नवंबर 2024 को शुरू किया। इसका आधार 'सम्पूर्ण सरकार' (Whole of Government) और 'सम्पूर्ण समाज' (Whole of Society) की अवधारणा है, अर्थात् केवल एक मंत्रालय नहीं, बल्कि सभी विभागों, संस्थाओं और समाज के हर वर्ग की सहभागिता से बाल विवाह का उन्मूलन।
- **फोकस क्षेत्र:** अभियान का केंद्र जागरूकता निर्माण, सामुदायिक संचालन (community mobilisation), बाल विवाह निषेध अधिकारियों (CMPO) के संस्थागत तंत्र को मजबूत करना, मामलों की समय पर रिपोर्टिंग तथा बालिकाओं की शिक्षा, सशक्तिकरण और कल्याण को बढ़ावा देना रहा है।
- **सहभागिता:** दो वर्षों में देशभर में जागरूकता कार्यक्रमों, सामुदायिक पहुँच-अभियानों और शपथ-ग्रहण कार्यक्रमों के माध्यम से व्यापक भागीदारी दर्ज की गई।
- **बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल:** stopchildmarriage.wcd.gov.in एक समर्पित मंच है, जहाँ बाल विवाह की घटनाओं की रिपोर्ट की जा सकती है, बाल विवाह निषेध अधिकारियों का विवरण देखा जा सकता है, जागरूकता गतिविधियाँ दर्ज होती हैं और बाल विवाह के विरुद्ध शपथ ली जा सकती है। नागरिक और संस्थाएँ इस पोर्टल के साथ-साथ MyGov और MY Bharat (मेरा युवा भारत) मंचों के माध्यम से भी शपथ ले सकते हैं।

27 नवंबर 2026 का राष्ट्रीय समारोह

- 27 नवंबर को विज्ञान भवन में हुए समारोह में लगभग 700 लोगों ने भाग लिया और लगभग 47,000 लोगों ने वेबकास्ट देखा। इसमें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, CMPOs, बाल कल्याण समितियों, मंत्रालयों, विधिक सेवा संस्थाओं और नागरिक समाज की भागीदारी रही।
- समारोह में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर उपस्थित रहीं।
- अवसर का उद्देश्य अभियान की प्रगति की समीक्षा, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और हितधारकों के योगदान को सम्मानित करना, राज्यों की पहलों का प्रदर्शन और बाल विवाह की रोकथाम के प्रयासों को और मजबूत करना है।
- इस अवसर पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य, ज़िला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर केंद्रित जागरूकता गतिविधियाँ करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिनमें विशेष ग्राम सभाएँ, जागरूकता अभियान, शपथ-ग्रहण और डिजिटल संचालन शामिल हैं। पंचायती राज संस्थाओं, नगरीय निकायों, शैक्षणिक संस्थानों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, युवाओं, सामुदायिक एवं धार्मिक नेताओं और नागरिकों को जोड़ा जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय दिवस: संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रस्ताव

- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 सितंबर 2026 को अपने 80वें सत्र की 114वें पूर्ण बैठक में प्रस्ताव **A/RES/80/309** सर्वसम्मति से (बिना मतदान के) पारित किया, जिसके तहत प्रतिवर्ष 27 नवंबर को 'बाल, शीघ्र और बलपूर्वक विवाह के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस' (International Day for the Elimination of Child, Early and Forced Marriage) घोषित किया गया।
- प्रस्ताव मानता है कि ये प्रथाएँ मानवाधिकारों का उल्लंघन या दुरुपयोग हैं और असमान रूप से महिलाओं व बालिकाओं को प्रभावित करती हैं। यह उन अनौपचारिक संबंधों (informal unions) को भी सम्मिलित करता है, जिन्हें धार्मिक, प्रथागत या राज्य प्राधिकरण पंजीकृत नहीं करते, और राष्ट्रीय नीतियों में इन्हें शामिल करने को कहता है।
- प्रस्ताव सदस्य देशों को व्यापक, बहु-क्षेत्रीय (multisectoral) राष्ट्रीय रणनीतियाँ और कार्ययोजनाएँ बनाने, बालिकाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में निवेश बढ़ाने (जिसमें विवाहित बालिकाओं को शिक्षा में लौटने योग्य बनाने के कार्यक्रम भी हैं) और महिला-बालिका सशक्तिकरण को रोकथाम का प्रमुख माध्यम बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

वैश्विक स्थिति: प्रमुख आँकड़े (संयुक्त राष्ट्र)

- विश्व में प्रतिवर्ष लगभग **12 मिलियन (करीब 1.2 करोड़) बालिकाओं** का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले हो जाता है।
- वर्ष 2026 में जीवित अनुमानित **650 मिलियन (करीब 65 करोड़) महिलाओं और बालिकाओं** का विवाह बचपन में हुआ था। इसके अतिरिक्त लगभग **22 मिलियन (करीब 2.2 करोड़) लोग** बलपूर्वक विवाह जैसी स्थितियों में जी रहे हैं, जिनमें दो-तिहाई से अधिक महिलाएँ और बालिकाएँ हैं।
- पिछले दशक में बचपन में विवाहित महिलाओं का अनुपात **25 प्रतिशत से घटकर लगभग 21 प्रतिशत** हो गया, यानी लगभग 25 मिलियन बाल विवाह टल पाए। दक्षिण एशिया में बाल वधुओं की संख्या सबसे अधिक है, वैश्विक कुल की **44 प्रतिशत (285 मिलियन)**, उसके बाद उप-सहारा अफ्रीका **18 प्रतिशत (115 मिलियन)** के साथ है।
- वर्तमान गति से इस प्रथा के पूर्ण उन्मूलन में लगभग **300 वर्ष** लग सकते हैं; सतत विकास लक्ष्य (SDG) के लक्ष्यक 5.3, जो वर्ष 2030 तक बाल, शीघ्र और बलपूर्वक विवाह सहित सभी हानिकारक प्रथाओं के उन्मूलन की बात करता है, को पाने के लिए प्रगति की गति पिछले दशक की तुलना में **12 गुना** बढ़ानी होगी।

भारत में स्थिति: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5, 2019-21)

- NFHS-5 के अनुसार भारत में 20-24 वर्ष की आयु वर्ग की **23.3 प्रतिशत महिलाएँ** 18 वर्ष से पहले विवाहित हुई थीं। यह अनुपात NFHS-4 (2015-16) में 26.8 प्रतिशत और NFHS-3 (2005-06) में 47.4 प्रतिशत था, यानी डेढ़ दशक में घटकर लगभग आधा हो गया।
- पुरुषों (25-29 वर्ष आयु वर्ग) में 21 वर्ष से पहले विवाह का अनुपात **17.7 प्रतिशत** था (NFHS-4 में 20.3 प्रतिशत)।
- प्रतिशत सर्वाधिक राज्यों में पश्चिम बंगाल (41.6), बिहार (40.8) और त्रिपुरा (40.1) थे। ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात 27 प्रतिशत के मुकाबले शहरी क्षेत्रों में 14.7 प्रतिशत था।

कानूनी ढाँचा: बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006

भारत में बाल विवाह के विरुद्ध प्रमुख कानून **बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006** (Prohibition of Child Marriage Act, 2006 - PCMA) है, जिसने बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1929 (जिसे सारदा अधिनियम भी कहा जाता है) का स्थान लिया। इसके प्रमुख प्रावधान:

- **'बाल' की परिभाषा (धारा 2):** पुरुष के लिए 21 वर्ष से कम आयु और स्त्री के लिए 18 वर्ष से कम आयु। ऐसा विवाह, जिसका कोई भी पक्षकार 'बाल' हो, बाल विवाह है।
- **शून्यकरणीय, स्वतः शून्य नहीं (धारा 3):** प्रत्येक बाल विवाह उस पक्षकार के विकल्प पर **शून्यकरणीय (voidable)** है, जो विवाह के समय बाल था। विवाह रद्द करने की याचिका ज़िला न्यायालय में केवल उसी पक्षकार द्वारा, वयस्कता की आयु प्राप्त करने के **दो वर्ष के भीतर** दायर की जा सकती है।
- **कुछ परिस्थितियों में विवाह स्वतः शून्य (धारा 12):** यदि नाबालिग को विधिपूर्वक संरक्षक की अधीनता से बहका कर या बल से ले जाकर, धोखे से, या विवाह के प्रयोजन से बेचकर विवाह कराया जाए, या विवाह के बाद नाबालिग को बेचा जाए/तस्करी की जाए, तो विवाह **शून्य (null and void)** है।
- **दंड (धारा 9, 10, 11):** बाल से विवाह करने वाले वयस्क पुरुष के लिए दो वर्ष तक का कठोर कारावास या एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों; बाल विवाह कराने, संचालित करने या उसमें सहायता करने वाले के लिए दो वर्ष तक का कठोर कारावास और एक लाख रुपये तक का जुर्माना; विवाह को बढ़ावा देने या अनुमति देने वाले (माता-पिता/संरक्षक सहित) के लिए भी यही दंड, परंतु विवाह को बढ़ावा देने या अनुमति देने वाली **धारा 11 के अंतर्गत किसी स्त्री को कारावास से दंडित नहीं किया जा सकता**।
- **निषेधाज्ञा (धारा 13-14):** प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट प्रस्तावित बाल विवाह के विरुद्ध **निषेधाज्ञा (injunction)** जारी कर सकता है, अर्थात् विवाह रोकने का न्यायिक आदेश। निषेधाज्ञा के विरुद्ध संपन्न बाल विवाह **आदि से ही शून्य (void ab initio)** होता है।

- **संज्ञेय और गैर-जमानती (धारा 15):** इस अधिनियम के अपराध **संज्ञेय (cognizable)**, जिनमें पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है, और **गैर-जमानती (non-bailable)** हैं।
- **बाल विवाह निषेध अधिकारी (धारा 16):** राज्य सरकार CMPO नियुक्त करती है, जिनका दायित्व बाल विवाह रोकना, अभियोजन हेतु साक्ष्य एकत्र करना, समुदाय को परामर्श देना और जागरूकता बढ़ाना है।

संस्थागत तंत्र और रोकथाम की शृंखला

- **स्थानीय स्तर:** CMPO, बाल कल्याण समितियाँ, पुलिस, ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) और आंगनवाड़ी/आशा जैसे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता रोकथाम की पहली कड़ी हैं।
- **राष्ट्रीय स्तर:** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अभियान का समन्वय करता है; NALSA और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कानूनी सहायता देते हैं।
- **रिपोर्टिंग:** बाल विवाह की सूचना बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल पर दी जा सकती है; बच्चों हेतु चाइल्डलाइन 1098 भी सहायता का माध्यम है।
- **रोकथाम की दिशा में शिक्षा:** संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव और अभियान दोनों बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को सबसे प्रभावी दीर्घकालिक रोकथाम रणनीति मानते हैं, क्योंकि विद्यालय में बनी बालिका बाल विवाह से बाहर रहने की अधिक संभावना रखती है।

आगे की राह

- वैश्विक आँकड़े दिखाते हैं कि प्रगति सही दिशा में है, पर गति अपर्याप्त है; भारत में भी NFHS के आँकड़ों में कमी आई है, परंतु लगभग हर चौथी युवती का बचपन में विवाह अभी भी चिंता का विषय है।
- आवश्यकता कानून के प्रभावी क्रियान्वयन, CMPO तंत्र को सक्रिय बनाए रखने, समय पर रिपोर्टिंग, और सामुदायिक दबाव बदलने की है; यही अभियान की 'सम्पूर्ण समाज' अवधारणा का सार है।

निष्कर्ष

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के दो वर्ष और 27 नवंबर की अंतर्राष्ट्रीय घोषणा एक साथ यह संकेत देते हैं कि बाल विवाह का उन्मूलन अब राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों एजेंडों में केंद्रित है। कानूनी ढाँचा (PCMA, 2006), संस्थागत तंत्र (CMPO, CWC, NALSA) और सामुदायिक सहभागिता का समन्वित प्रयोग ही 2030 के सतत विकास लक्ष्य और 'बाल विवाह मुक्त भारत' के संकल्प को साकार कर सकता है।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. **कथन 1:** इस अधिनियम में 'बाल' से तात्पर्य ऐसे पुरुष से है, जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी न की हो और ऐसी स्त्री से, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी न की हो
2. **कथन 2:** इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक बाल विवाह आदि से ही शून्य (void ab initio) होता है
3. **कथन 3:** इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती हैं

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 | (b) केवल 1 और 3 | (c) केवल 2 और 3 | (d) 1, 2 और 3

▼ **उत्तर और व्याख्या**

उत्तर: (b) केवल 1 और 3

व्याख्या: धारा 2 के अनुसार पुरुष के लिए 21 वर्ष और स्त्री के लिए 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति 'बाल' है, इसलिए कथन 1 सही है। धारा 3 के अनुसार बाल विवाह शून्यकरणीय (voidable) है, स्वतः शून्य नहीं; आदि से शून्य वही विवाह होते हैं जो धारा 12 की विशेष परिस्थितियों (बहकाना, बलपूर्वक ले जाना, बेचना, तस्करी) में हों या निषेधाज्ञा के विरुद्ध संपन्न हों (धारा 14), अतः कथन 2 गलत है। धारा 15 के अनुसार अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती हैं, इसलिए कथन 3 सही है।

प्रश्न 2. बाल विवाह के विरुद्ध हालिया प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. **कथन 1:** 'बाल विवाह मुक्त भारत' अभियान 27 नवंबर 2024 को प्रारंभ हुआ
2. **कथन 2:** संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 27 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित करने वाला प्रस्ताव मतदान द्वारा पारित किया
3. **कथन 3:** विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 12 मिलियन बालिकाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले हो जाता है

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक | (b) केवल दो | (c) तीनों | (d) कोई नहीं

▼ उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (b) केवल दो

व्याख्या: कथन 1 सही है: अभियान 27 नवंबर 2024 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शुरू किया था। कथन 2 गलत है: महासभा ने 4 सितंबर 2026 को प्रस्ताव A/RES/80/309 सर्वसम्मति से, बिना मतदान के (without vote) पारित किया। कथन 3 सही है: संयुक्त राष्ट्र के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 12 मिलियन बालिकाओं का विवाह 18 वर्ष से पहले हो जाता है।

प्रश्न 3. सतत विकास लक्ष्य (SDG) के संदर्भ में वर्ष 2030 तक बाल, शीघ्र और बलपूर्वक विवाह के उन्मूलन का लक्ष्यक निम्नलिखित में से कौन सा है?

(a) लक्ष्य 3 का लक्ष्यक 3.2 | (b) लक्ष्य 4 का लक्ष्यक 4.5 | (c) लक्ष्य 5 का लक्ष्यक 5.3 | (d) लक्ष्य 16 का लक्ष्यक 16.2

▼ उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (c) लक्ष्य 5 का लक्ष्यक 5.3

व्याख्या: 2030 एजेंडा के लक्ष्य 5 (लैंगिक समानता) का लक्ष्यक 5.3 बाल, शीघ्र और बलपूर्वक विवाह तथा स्त्री जननांग विकृति जैसी सभी हानिकारक प्रथाओं के उन्मूलन की बात करता है। संयुक्त राष्ट्र के आकलन के अनुसार वर्तमान प्रगति की गति पर यह लक्ष्यक प्राप्त नहीं होगा; आवश्यक गति वर्तमान से 12 गुना अधिक है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. "बाल विवाह केवल एक सामाजिक कुप्रथा नहीं, बल्कि मानवाधिकारों का उल्लंघन भी है।" इस कथन के आलोक में भारत में बाल विवाह उन्मूलन हेतु विद्यमान कानूनी और संस्थागत तंत्र की समीक्षा कीजिए। (250 शब्द/15 अंक)

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में:

बाल विवाह की परिभाषा और संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के रूप में मान्यता; भारत में 27 नवंबर 2024 से बाल विवाह मुक्त भारत अभियान और 27 नवंबर का अंतर्राष्ट्रीय दिवस।

मुख्य भाग में:

कानूनी ढाँचा: PCMA, 2006 के प्रमुख प्रावधान: 'बाल' की परिभाषा, शून्यकरणीय/शून्य विवाह, दंड, निषेधाज्ञा, संज्ञेय एवं गैर-जमानती अपराध। संस्थागत तंत्र: CMPO, बाल कल्याण समिति, NALSA/DLSA, पंचायती राज संस्थाएँ, अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ता, रिपोर्टिंग पोर्टल। सीमाएँ: क्रियान्वयन की कमजोरी, जागरूकता का अभाव, गरीबी व सामाजिक रूढ़ियाँ; NFHS-5 के आँकड़े (23.3%)।

निष्कर्ष में:

कानून के साथ शिक्षा, सशक्तिकरण और सामुदायिक सहभागिता का समन्वय आवश्यक; 'सम्पूर्ण सरकार-सम्पूर्ण समाज' दृष्टिकोण और SDG 5.3 की दिशा में संतुलित टिप्पणी।

प्रश्न 2. संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 27 नवंबर को 'बाल, शीघ्र और बलपूर्वक विवाह के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस' घोषित किए जाने से भारत के प्रयासों को क्या अर्थ निकलते हैं? चर्चा कीजिए। (150 शब्द/10 अंक)

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में:

प्रस्ताव A/RES/80/309 (4 सितंबर 2026) की घोषणा और बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की दूसरी वर्षगाँठ का संयोग।

मुख्य भाग में:

वैश्विक मान्यता से देशों के लिए जवाबदेही, अच्छी प्रथाओं के आदान-प्रदान और बहु-क्षेत्रीय रणनीतियों पर बल; भारत के लिए अभियान की तिथि और अंतर्राष्ट्रीय दिवस का

एक ही दिन होना प्रतीकात्मक और नीति-निर्माण दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण; वैश्विक आँकड़ों में दक्षिण एशिया की 44 प्रतिशत हिस्सेदारी।

निष्कर्ष में:

अंतर्राष्ट्रीय मंच की उपलब्धि के साथ वास्तविक परिवर्तन घरेलू क्रियान्वयन से ही आएगा; यह एक संतुलित निष्कर्ष होगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

▼ प्रश्न 1. बाल विवाह की शिकायत कहाँ और कैसे की जा सकती है?

बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल (stopchildmarriage.wcd.gov.in) पर घटना की रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है, जहाँ संबंधित क्षेत्र के बाल विवाह निषेध अधिकारी (CMPO) का विवरण भी उपलब्ध है। इसके अलावा बच्चों के लिए चाइल्डलाइन 1098 पर भी सूचना दी जा सकती है।

▼ प्रश्न 2. क्या पहले से हो चुका बाल विवाह कानूनन रद्द किया जा सकता है?

हाँ। PCMA, 2006 के अंतर्गत बाल विवाह उस पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय है, जो विवाह के समय बाल था; वयस्कता की आयु प्राप्त करने के दो वर्ष के भीतर ज़िला न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। धारा 12 की परिस्थितियों या निषेधाज्ञा के उल्लंघन में संपन्न विवाह स्वतः शून्य होता है।

▼ प्रश्न 3. 27 नवंबर का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब से और कैसे मनाया जाने लगा?

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 सितंबर 2026 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर प्रतिवर्ष 27 नवंबर को यह दिवस मनाने की घोषणा की, इसलिए 27 नवंबर 2026 इस दिवस की पहली वैश्विक मान्यता वाली तिथि है। यह तिथि भारत के बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की दूसरी वर्षगाँठ के ही दिन आती है।

स्रोत

1. प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस सूचना ब्यूरो, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (26 नवंबर 2026)
2. International Day for the Elimination of Child, Early and Forced Marriage (संयुक्त राष्ट्र)
3. संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव A/RES/80/309 (UN Digital Library)
4. UN Meetings Coverage, 4 सितंबर 2026 (GA/12779)
5. बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (इंडिया कोड)
6. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5), 2019-21 (भारत रिपोर्ट, IIPS)

संबंधित लेख

कर्नाटक का बड़ा फैसला: स्कूलों में छात्राओं की अनिवार्य चिकित्सा जाँच, CCTV और बाल संरक्षण समितियाँ

NCPCR के बाल डिजिटल सुरक्षा दिशानिर्देश अंतिम चरण में: सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग

PCSMANTRA.COM